म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / नि. / मण्डी–संरचना / डिस्मेंटल / 2016–17 / 1578 भोपाल,दिनांक 04/05/16

परिपत्र

प्रदेश की मण्डी समितियों में मण्डी बोर्ड की निधि / मण्डी की निधि से निर्मित ऐसी संरचनायें जिनकी निर्माण अवधि कम से कम 30 वर्ष के अधिक हो या अत्याधिक जर्जर हो गई हो तथा उसे किसी भी प्रकार से मरम्मत कर पुनः उपयोग में नही लाया जा सकता है, ऐसी अनुपयोगी संरचना को निष्प्रयोजित घोषित कर उसके विनष्टीकरण (डिस्मेन्टलिंग) करने की निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

(एक) मण्डी समिति द्वारा पदस्थ तकनीकी अमले के माध्यम से प्रांगण में निर्मित जीर्ण–शीर्ण अवस्था वाली ऐसी अनुपयोगी संरचनाओं को चिन्हित कर उसको निष्प्रयोजित घोषित कर विनष्टीकरण (डिस्मेन्टलिंग) करने का निर्णय करेगी।

(दो) उक्त आशय का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् विनष्टीकरण (डिस्मेन्टलिंग) हेतु चिन्हित की गई प्रस्तावित संरचनाओं की सारगर्भित जानकारी तैयार कर फोटोग्राफ्स सहित संरचना के ह्रास मूल्य के निर्धारण हेतु प्रस्ताव संबंधित कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, तकनीकी संभाग को प्रेषित करेगी।

(तीन) कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, तकनीकी संभाग प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में सचिव मण्डी तथा सहायक यंत्री के साथ संयुक्त रूप से विनष्टीकरण (डिस्मेन्टलिंग) हेतु प्रस्तावित संरचनाओं का स्थल निरीक्षण करेगा तथा सामान्यतः बोर्ड / मण्डी के लेखा अभिलेख में संरचना के अंकित मूल्य के आधार पर हास मूल्य म0प्र0 कार्य विभाग मेन्यूअल की धारा–7 पैरा 3.036 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये निर्धारित करेगा तथा उस संरचना का तकनीकी प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से जारी करेगा।

(चार) सचिव, मण्डी समिति द्वारा विनष्टीकरण (डिस्मेन्टलिंग) हेतु प्रस्तावित संरचना के निरीक्षण एवं जारी तकनीकी प्रतिवेदन के उपरान्त उक्त संरचना का उपयोग प्रतिबंधित करने की सूचना अनिवार्य रूप से चस्पा कराई जावेगी।

निरन्तर --2/-

CI-40----168

(02) उपरोक्तानुसार कार्यवाही पश्चात् अनुपयोगी संरचना को निष्प्रयोजित घोषित कर उसके विनष्टीकरण (डिस्मेन्टलिंग) करने की अनुमति के लिए कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 यथा संशोधित की धारा 63 के परन्तुक अधिकार मण्डी अधिनियम की धारा–65 (2) के तहत निम्नानुसार प्रत्यायोजित किये जाते हैः–

क	कार्य का नाम / कार्य की लागत / निर्मित संरचनाओं की अवधि	अनुमति की कार्यवाही के अधिकार
1	2	3
1	शौचालय / पंप हाउस / चेकपोस्ट / शीटों से निर्मित सेण्ड्रीशॉप गोदामे, कार्यालय भवन इत्यादि, लागत राशि रूपये 5.00 लाख तक, अवधि 30 वर्ष से अधिक।	मण्डी समिति के प्रस्ताव पर कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग से तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त कर मण्डी स्तर पर गठित समिति जिसमें मण्डी अध्यक्ष / भारसाधक अधिकारी, संबंधित सहायक यंत्री तथा लेखापाल सदस्य रहेगें की अनुशंसा पर प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत उप संचालक / संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय द्वारा डिस्मेन्टल हेतु अनुमति दी जा सकेगी।
2	शौचालय / पंप हाउस / चेकपोस्ट / शीटों से निर्मित सेण्ड्रीशॉप गोदाम, कार्यालय भवन इत्यादि, लागत राशि रू0 10.00 लाख तक, अवधि 30 वर्ष से अधिक ।	मण्डी समिति के प्रस्ताव पर कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग द्वारा जारी तकनीकी प्रतिवेदन पर संभाग स्तर पर गठित समिति जिसमें संबंधित सहायक लेखाधिकारी, संबंधित मण्डी सचिव एवं सहायक यंत्री सदस्य रहेगें, की अनुशंसा पर प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता, मण्डी बोर्ड द्वारा डिस्मेंटल की अनुमति दी जा सकेगी।

(03) पक्की आर.सी.सी. छत के अंतर्गत निर्मित संरचनाएं एवं बिन्दु कमांक– 02 की तालिका के कमांक–01 एवं 02 में वर्णित के उपरांत सभी कार्य लागत राशि रूपये 10.00 लाख से अधिक, अवधि 30 वर्ष से अधिक के विनष्टीकरण (डिस्मटलिंग) के लिए मण्डी समिति के प्रस्ताव पर कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग द्वारा जारी तकनीकी प्रतिवेदन पर संभाग स्तर पर गठित समिति, जिसमें संबंधित कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, तकनीकी संभाग, सहायक लेखाधिकारी तथा संबंधित मण्डी सचिव सदस्य रहेगें की अनुशंसा पर सारगर्भित प्रस्ताव संबंधित संयुक्त / उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय के माध्यम से प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड के सक्षम अनुमोदन के लिए मुख्यालय को प्रेषित किया जावेगा।

CE-40-----169

निरन्तर —3/-

(04) किसी भी लागत की संरचनायें जिनमें विनष्टीकरण (डिस्मेन्टलिंग) निर्धारित 30 वर्ष अधिक से कम अवधि में आवश्यक परिलक्षित होने पर विनष्टीकरण (डिस्मेन्टलिंग) हेतु प्रस्तावित संरचना का इंजिनियरिंग कॉलेज से नॉन–डिस्ट्रेक्टिव रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त कार्य में संलग्न तकनीकी अमले की स्पष्ट जानकारी सहित सारगर्भित प्रस्ताव संबंधित संयुक्त/उप संचालक,मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय के माध्यम से सक्षम अनुमति के लिए मुख्यालय को प्रेषित किया जावेगा।

(05) बिन्दु कमांक–02 एवं 03 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित होने के उपरान्त की निविदा की कार्यवाही निम्नानुसार की जावेगी :–

(एक) विनष्टीकरण (डिस्मेन्टलिंग) हेतु प्रस्तावित संरचना के निर्धारित ह्रास मूल्य पर विनष्टीकरण (डिस्मेन्टलिंग) से उपलब्ध होने वाली सामग्री की नीलामी हेतु निविदा की कार्यवाही मण्डी सचिव द्वारा की जावेगी। उक्त निविदा अंतर्गत प्राप्त अधिकतम राशि वाला आफॅर निर्धारित किये गये ह्रास मूल्य से अधिक है तभी उक्त संरचना के डिस्मेंटल हेतु अधिकतम ऑफर को स्वीकार करने की कार्यवाही के विचार क्षेत्र में लिया जावेगा।

(दो) नीलामी की निविदा की शर्तो का निर्धारण करते हुए मण्डी सचिव द्वारा ऑनलाईन टेण्डर के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में प्रावधानित अनुसार प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कर निविदाएं आमंत्रित की जावेगी।

(तीन) नीलामी की निविदा अंतर्गत प्राप्त अधिकतम ऑफर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए मण्डी स्तर पर सचिव, लेखापाल एवं सहायक यंत्री की अनुशंसा उपरांत प्रकरण मण्डी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

अतः उपरोक्त के आधार पर की गई कार्यवाही का सक्षम अनुमोदन मण्डी समिति द्वारा मण्डी अधिनियम 1972 यथा संशोधित की धारा–17(2)(सत्रह) के अन्तर्गत प्रदान किया जावेगा।

(अरूण पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / नि. / मण्डी–संरचना / डिस्मेंटल / 2016–17 / 1579 भोपाल,दिनांक 04/05/16

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. विशेष सहायक, माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, मंडी बोर्ड, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल ।
3. कलेक्टर, जिला–......(समस्त)...... ।
4. अपर संचालक, समस्त मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
5. मुख्य अभियंता, मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
6. संयुक्त संचालक, समस्त मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
7. अधीक्षण यंत्री, मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
8. उप संचालक, समस्त मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
9. उप संचालक / संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, समस्त ।
10. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)
11. सहायक यंत्री / सहायक लेखाधिकारी, मण्डी बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।
12. अध्यक्ष / भारसाधक अधिकारी / सचिव / लेखापाल कृषि उपज मंडी समिति, समस्त ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल